

**बिहार सरकार
शिक्षा विभाग**

प्रेषक,

ललन कुमार मंडल,
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ...22/09/2026

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:— **वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत वैसे नियोजित शिक्षक, जिनका वेतन राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है, को सहायक अनुदान-वेतन मद में कुल बजटीय उपबंध की राशि 1685,73,80,000/—(सोलह सौ पच्चासी करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र में से 539,43,61,600/—(पांच सौ उनचालीस करोड़ तेतालीस लाख इकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि संविधान की धारा-21 (क) के अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसीलिए 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेवारी है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अन्दर लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के विभिन्न नगर निकाय, प्रखण्ड, नगर पंचायत में शिक्षकों का नियोजन किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत वैसे नियोजित शिक्षक, जिनका वेतन राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है, को सहायक अनुदान वेतन मद में कुल राशि 1685,73,80,000/—(सोलह सौ पच्चासी करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र का बजटीय उपबंध है। उक्त कुल उपबंधित राशि में से 556,29,35,400/—(पांच सौ छप्पन करोड़ उनत्तीस लाख पैतीस हजार चार सौ रुपये) की स्वीकृति एवं विमुक्ति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-42 दिनांक-12.06.2026 द्वारा प्रदान की गयी है।

3. अंकनीय है कि उपरोक्त स्वीकृत्यादेश संख्या द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बंधेज सीमा के तहत मूल बजटीय उपबंध की राशि का मात्र 33 प्रतिशत का स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गयी है तथा दिनांक-01.08.2026 से बंधेज सीमा के नियमानुसार मूल बजट उपबंध की राशि का 32 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जानी है।

4. अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत वैसे नियोजित शिक्षक, जिनका वेतन राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान के

रूप में दिया जाता है, को सहायक अनुदान वेतन मद में कुल बजटीय उपबंध की राशि 1685,73,80,000/—(सोलह सौ पच्चासी करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र में से 539,43,61,600/—(पांच सौ उनचालीस करोड़ तेतालीस लाख इकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत उक्त मद के नियोजित शिक्षक के वेतनादि भुगतान हेतु निम्न विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय का विकलन किया जायेगा—

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि	तत्काल स्वीकृति
01	21-2202-01-191-0001	0001.31.04—सहायक अनुदान वेतन	797580000	255225600
02	21-2202-01-192-0001	0001.31.04—सहायक अनुदान वेतन	778200000	249024000
03	21-2202-01-193-0001	0001.31.04—सहायक अनुदान वेतन	680000000	217600000
04	21-2202-01-197-0002	0002.31.04—सहायक अनुदान वेतन	14601600000	4672512000
कुल राशि			16857380000	5394361600

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त आवंटन से मात्र वैधानिक रूप से नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के वेतन का भुगतान करेंगे। भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

7. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10. 2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक-877-907 दिनांक-08.11.2007 के आलोक में आवंटन निर्गत होने के पश्चात् राशि की निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राशि की निकासी एवं भुगतान संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसार किया जायेगा। राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। साथ ही वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा उक्त राशि की निकासी एवं भुगतान दृढ़तापूर्वक इस शर्त के साथ किया जायेगा कि 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार, पटना से करा लिया गया हो एवं तदोपरांत उक्त सहायक अनुदान की राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि का आवंटन बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा CFMS प्रक्रिया के तहत जिलों द्वारा समर्पित मांग पत्र/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा दिये गये निदेश/पत्र के आलोक में किया जायेगा तथा राशि व्यय हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी प्राधिकृत होंगे।

11. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) CFMS की विहित प्रक्रिया द्वारा राशि की निकासी करेंगे एवं स्थापित प्रक्रिया से प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान करेंगे। गलत राशि की निकासी के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पूर्णरूप से जिम्मेवार होंगे।

12. उक्त राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 में दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय।



13. उक्त राशि वित्त विभागीय संकल्प सं०-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका 6 (छः) में निहित निदेशों के आलोक में विमुक्त की जा रही है।

14. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री शिक्षा विभाग का संचिका संख्या-7/विविध-21/2017 (अंश-क) के पृष्ठ सं०-100/ टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-7/विविध-21/2017 (अंश-क) के पृष्ठ संख्या-103-106/टि० पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश
(ह/०-)

(ललन कुमार मंडल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 7/वेतन-21/2017(अंश-क) 117

पटना, दिनांक-22/09/2024

प्रतिलिपि:- सचिव (संसाधन), वित्त विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05, शिक्षा विभाग/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

48/4
22/09/24

सरकार के उप सचिव।

क्रम संख्या	जिला का नाम	21-2202-01-191-0001	21-2202-01-192-0001	21-2202-01-193-0001	21-2202-01-197-0002	Total
1	Araria	0	350000	0	2120016	2470016
2	Arwal	0	0	0	10668229	10668229
3	Aurangabad	0	2333877	3133944	29303914	34771735
4	Banka	0	0	0	2037410	2037410
5	Begusarai	0	0	0	8825457	8825457
6	Bhagalpur	1316167	0	5091115	38613031	43704146
7	Bhojpur	0	0	0	125000000	125000000
8	Buxar	0	0	0	10336180	10336180
9	Darbhanga	32583392	0	0	156994975	156994975
10	East Champaran	0	2400000	13000000	60000000	75400000
11	Gayaji	8574579	0	1661910	0	1661910
12	Gopalganj	0	1562717	2795452	22019694	26377862
13	Jamui	0	404460	601440	23290538	24296438
14	Jehanabad	0	5231065	0	26119542	31350606
15	Kaimur	0	0	0	29857555	29857555
16	Katihar	0	0	0	118664759	118664759
17	Khagaria	0	0	0	97251582	97251582
18	Kishanganj	0	4939628	4048338	87859382	96847348
19	Lakhisarai	0	0	0	6825000	6825000
20	Madhepura	0	0	74792436	6094688	80887124
21	Madhubani	2842000	1995000	997500	125860000	128852500
22	Munger	3028948	1836110	136370	14845477	16817956
23	Muzaffarpur	11607221	0	3866412	279555967	283422379
24	Nalanda	3256680	1497860	1283880	148898952	151680692
25	Nawada	0	0	0	18639000	18639000
26	Patna	72053400	23780000	9987600	214733400	248501000
27	Purnia	4525053	0	0	63284208	63284208
28	Rohtas	0	0	1402114	10758773	12160887
29	Saharsa	0	180000	1750000	75735000	77665000
30	Samastipur	7735000	5950000	1338750	57715000	65003750
31	Saran	6931665	0	12897875	53299834	66197709
32	Sheikhpura	0	0	0	17795200	17795200
33	Sheohar	0	0	0	19600000	19600000
34	Sitamarhi	9926742	0	2788638	154192226	156980864
35	Siwan	0	3409663	2358577	41600072	47368312
36	Supaul	0	0	3386312	68682792	72069104
37	Vaishali	0	4275000	0	59571500	63846500
38	West Champaram	1632042	2405994	6128014	102927194	111461202
Total		166012888	62551373	153446676	2389576544	2605574593

Palmy
22.11.2026

Vz